

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या -58/2025

स्थान :

1. विद्या पत्नी बहादुर राम जाति जाट निक्सी शेरका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
वादीया

बनाम

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत द्वारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति-1 अधिवक्ता श्री महेश गौड :-वादीया

2 राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक 21/3/25



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महेश गौड व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद
वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी
मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 25 एनजीसी के खाता सं०
87/85 में दर्ज वादीया का नाम विद्यादेवी के स्थान पर विद्या व पति का नाम बहादुरराम
के स्थान पर बहादुर राम नाम दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है अगर प्रार्थी पर कोई
आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा।
तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त
होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
यह पर्या डिक्री आज दिनांक 21/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी